

प्रेस नोट दिनांक 29.08.2023

(1). आज दिनांक 29.08.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(2). आज दिनांक 29.08.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 01 वांछित व 04 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(i). प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री गुलाब त्रिपाठी के मार्गदर्शन में उ0नि0 रामअधर सिंह व मुख्य आरक्षी संदीप देव द्वारा मु0अ0सं0 657/2007 धारा 452/354/323/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त रामबाबू गौतम पुत्र स्व0 रामखेलावन गौतम निवासी कालूपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 राजेश चौरसिया व हमराही आरक्षी आशीष कुमार कुशवाहा द्वारा मु0सं0 24/2014 धारा 323/504/506/427 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त सत्यनारायण पुत्र चुनवाद निवासी छपरा माफी चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii). प्रभारी निरीक्षक श्री भास्कर मिश्रा के मार्गदर्शन में उ0नि0 राजीव कुमार सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी अंकित शुक्ला द्वारा मु0अ0सं0 274/2017 धारा 60 आ0अधि0 के वारण्टी अभियुक्त धनराज पुत्र बज्जू निवासी कारखाना कस्बा राजापुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट व उ0नि0 कृष्णदेव मिश्रा तथा उनके हमराही आरक्षी विजय पटेल द्वारा मु0अ0सं0 145/2018 धारा 323/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त डब्लू पुत्र रामेश्वर निवासी नुनगर का पुरवा पिथरिया माफी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iv). चौकी प्रभारी गनीवां उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य तथा उनके हमराही आरक्षी प्रमोद द्वारा मु0अ0सं0 172/2023 धारा 363/366क/376/506 भादवि0 4(2) पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट के वांछित अभियुक्त अजय तिवारी उर्फ बग्धी पुत्र स्व0 राम विजय तिवारी उर्फ मुन्नू तिवारी निवासी ग्राम डांडिया मजरा कधवनिया थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री भास्कर मिश्र के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1. मुन्नू प्रसाद पुत्र श्रीकेशन 2. कमलेश पुत्र दशरथ 3. राजकुमार पुत्र कैलाश 4. देवकुमार पुत्र अमृतलाल 5. लालदास पुत्र चुन्ना 6. अनिल कुमार पुत्र महेश 7. शिवदास पुत्र चुन्ना निवासीगण महुवां थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते गिरफ्तार

किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 8320/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामातलाशी से 1730 रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

1. मालफड़ 8320/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते

2. जामातलाशी से 1730/- रुपये

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह थाना राजापुर

2. उ0नि0 कृष्णदेव मिश्रा थाना राजापुर

3. आरक्षी अंकित शुक्ला

4. आरक्षी विजय पटेल

5. आरक्षी पंकज राय

6. आरक्षी अजय कुमार वर्मा

(5). पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री भास्कर मिश्र तथा उनकी टीम द्वारा 10000/- रुपये के इनामी मु0अ0सं0 113/2023 धारा 2/3 गैग्रेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त बब्बल खान उर्फ वजहुल कमर पुत्र समसुल कमर निवासी छीतेमऊ थाना मऊआइमा जनपद कमिश्नरेट प्रयागराज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त बब्बल खान उपरोक्त काफी दिनों से फरार चल रहा था एवं इसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. श्री भास्कर मिश्र प्रभारी निरीक्षक राजापुर

2. श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक सरधुवा

3. उ0नि0 शिवमणि मिश्रा थाना सरधुवा

4. आरक्षी अमित सिंह

5. आरक्षी बब्बू राजा

6. आरक्षी पुष्पेन्द्र सिंह

(6). आज दिनांक 29.08.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में महोदय द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया। बाद परेड महोदय द्वारा पुलिस लाइन का भ्रमण कर परिवहन शाखा का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। महोदय द्वारा मैस का निरीक्षण कर भोजन चख कर भोजन की गुणवत्ता चैक की गयी तत्पश्चात महोदय द्वारा कैटीन, क्वार्टर गार्ड का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन श्री शिवनारायण को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब के बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री वीर प्रातप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रवीन्द्र कुमार कटियार तथा उनके हमराह द्वारा अभियुक्त कोदू कोल पुत्र स्व0 चुन्नीलाल निवासी ग्राम रमपुरिया मजरा सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री रवीन्द्र कुमार कटियार थाना मानिकपुर

2. आरक्षी दुर्गेश कुमार चौकी सरैया

(8). आज दिनांक 29.08.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे “मिशन शक्ति” एवं “शक्ति दीदी” अभियान के तहत उप निरीक्षण श्री शैलेन्द्र सिंह मय महिला आरक्षी मनीषा यादव थाना भरतकूप के द्वारा 1.राजकीय हाईस्कूल रौली कल्याणपुर भरतकूप चित्रकूट में कक्षा 9 व 10 के बच्चों को तथा 2. राजकीय हाई स्कूल भरतकूप चित्रकूट में कक्षा 9 व 10 के बच्चों 3. राजकीय इण्टर कॉलेज घुरेटनपूर भरतकूप चित्रकूट में कक्षा 8, 9 व 10 के बच्चों को 4.उच्च प्राथमिक विद्यालय भरतकूप चित्रकूट में कक्षा 6, 7 व 8 के बच्चों को SPC (स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट) के तहत महिला व बाल अपराध के बारे में स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट के बच्चों के साथ गोष्ठी आयोजित की गयी । इस गोष्ठी में स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट के बच्चों को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु महिला व बाल अपराध के बारे में प्रशिक्षित /जागरूक किया गया । शासन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा शासन के विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों के पम्पलेट्स वितरित किये गए ।

स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट को बताया गया कि उनके साथ हो रहे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के सम्बन्ध में पुलिस से “चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो” जिससे उनके साथ हो रहे उत्पीड़न को रोका जा सके । स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट को गुड-टच, बैड-टच के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुये बताया गया कि अक्सर छोटे-छोटे बच्चों को हमारे जानने वाले ही बैड-टच करते हैं और हम समझ नहीं पाते, इसके सम्बन्ध में खुलकर बतायें तथा घर पर अपने छोटे भाई/बहन को भी गुड-टच, बैड-टच के सम्बन्ध में बतायें ।